कार्यालय सहायक संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश जिला विदिशा (म.प्र.)

क्रमांक/ 277 /जि.का/नग्रानि/विदिशा/2011 विदिशा, दिनांक 26/2/11

प्रति,

उपखण्ड अधिकारी
विदिशा, म.प्र.

विषयः ग्राम शेरपुर के खसरा क्रमांक 389/1/2/ख/1 मिन रकबा 0.627 हे., खसरा क्र. 459 रकबा 0.470 हे. एवं खसरा 460/1/मिन–1 रकबा 0.993 हे. कुल रकबा 2.090 हे. भूमि का अभिन्यास अनुमोदन बाबत् ।

संदर्भः आपका पत्र क्रमांक 1592 विदिशा दिनांक 27.10.2010

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं संदर्भ में आवेदक स्फियर ट्रेड इंडिया लिमि. द्वारा आवेदक अनूप कुमार सहगल, प्रबंध संचालक को ग्राम शेरपुर के खसरा क्रमांक 389/1/2/ख/1 मिन रकबा 0.627 हे., खसरा क्र. 459 रकबा 0.470 हे. एवं खसरा 460/1/मिन–1 रकबा 0.993 हे. कुल रकबा 2.090 हे. भूमि जिसका भू–उपयोग विदिशा विकास योजना में प्रस्तावित आवासीय एवं प्रस्तावित वाणिज्यक भू उपयोग में निर्दिष्ट है पर मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 30 (1) (ख) एवं मध्यप्रदेश भूमि विकास निगम 1984 के नियम 27 (1) के अधीन निम्न शर्तो के आधार पर आवासीय भूखण्डीय विकास की अनुज्ञा दी जा रही है :–

1. म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959
2. म.प्र. नगरपालिका अधिनियम 1956/ मध्यप्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1993 ।
3. म.प्र. नगर पालिका (कालोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्वन्धन तथा शर्ते) नियम 1998
4. म.प्र. गृह निर्माण मंडल विदिशा ।
5. म.प्र. भू–अर्जन अधिकारी कार्यालय कलेक्टर विदिशा ।
6. नजूल अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर विदिशा ।
8. राष्ट्रीय राजमार्ग/ राजकीय राजमार्ग प्राधिकारी (राष्ट्रीय राजमार्ग/ राजकीय राजभार्ग से लगी भूमि के विकास की स्थिति में)
9. म.प्र. राज्य विद्युत मण्डल विदिशा
10. जल संसाधन विभाग (बांध नहर व नदियों एवं नाले से लगी भूमि के विकास हेतु)
11. उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य किसी अधिनियम के अन्तर्गत यदि कोई अनुमति व अनापत्ति की आवश्यकता हो तो वह विकास / निर्माण के पूर्व अनिवार्य रुप से प्राप्त करना होगा ।

2. म.प्र. नगर पालिका अधिनियम 1956 के अन्तर्गत बनाये गये म.प्र. नगर पालिका (कालोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्बन्धन तथा शर्ते) नियम 1998 के नियम 10 एवं 12 व अन्य समस्त नियमों का पालन नगरपालिका विदिशा को सुनिश्चित करने के उपरान्त ही विकास कार्य की अनुमति प्रदान की जावें ।

3. प्रश्नाधीन भूमि का आवासीय भू उपयोग हेतु भू–व्यपर्तन कराना होगा ।

4. नियमानुसार बाह्य विकास लागत राशि पर्यवेक्षण फीस संबंधित नगर पालिका विदिशा में जमा करना होगा तथा कालोनी का विकास उनके द्वारा निर्धारित मानकों एवं शर्तो के आधार पर पूर्ण करना होगा । विकास पूर्णता का प्रमाण – पत्र इस कार्यालय से भी अनिवार्यता प्राप्त करना होगा । जो कि अंतिम अनुज्ञा होगी ।

5. मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 1984 के नियम 78 (4) के प्रावधानों के अनुसार रेन वाटर हार्वेस्टिंग / रुफ वाटर हार्वेस्टिंग की प्रक्रिया अपनानी होगी ।

6. संस्था/ आपके द्वारा प्रस्तुत अक्स/बटान में किसी भी प्रकार की विसंगति होने पर उसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी आपकी / संस्था की होगी ।